

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून -248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या- 785 /XXV - 11 / 2020

देहरादून :

दिनांक 15 सितम्बर, 2020

—:प्रेस नोट:—

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/50/2020 दिनांक 21 अगस्त, 2020 के द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के दौरान विभिन्न सामान्य/उप निर्वाचन के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं जो, आयोग की वेबसाइट <https://eci.gov.in/files/file/12167-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/> सर्व साधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध हैं।

2— भारत सरकार गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रारम्भ से समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को अपने नवीनतम परिपत्र में व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कीटाणुनाशक एवं स्वच्छता संबंधी एसओपी जारी की गई है।

3— भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करते हुए वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत आम चुनाव/उप चुनाव संचालित कराए जाने के लिए दिनांक 11 अगस्त, 2020 तक सुझाव आमंत्रित किए गए। आयोग द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव प्रचार अभियानों एवं जनसभाओं पर प्राप्त विचारों/सुझावों पर विचार किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति में आम चुनाव/उप चुनाव संचालित कराए जाने हेतु दिशा-निर्देशों में निम्न बिन्दु मुख्य रूप से सम्मिलित हैं:-

4— आयोग द्वारा नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के समय अभ्यर्थी एवं वाहनों की संख्या के साथ व्यक्तियों की संख्या के मानदण्ड संशोधित किए गए हैं।

1— नामनिर्देशन-फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाईन फार्म भर सकता है, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-3 के अनुसार प्रारूप-1 में निर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर को प्रिन्ट कर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2— मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शपथ-पत्र ऑनलाईन भरा जा सकता है और उसका प्रिन्ट कर नोटरीकरण के पश्चात रिटर्निंग आफिसर के समक्ष नामनिर्देशन फार्म के साथ जमा किया जा सकता है।

3— अभ्यर्थी द्वारा जमानत की धनराशि भी ऑन लाईन जमा की जा सकती है। प्रक्रिया के अनुसार जमानत की धनराशि नकद जमा करने का पूर्व विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

4— ऑनलाईन नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी को उसके मतदाता पंजीकरण के प्रमाणीकरण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

- 5- नामनिर्देशन-पत्र जमा करते समय अभ्यर्थी के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या-02 तक सीमित होगी।
- 6- नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा एवं चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रिटर्निंग आफिसर कार्यालय कक्ष में पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- 7- संभावित उम्मीदवारों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्व से ही समय आवंटित किया जाना चाहिए।
- 8- अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षालय के रूप में किसी बड़े स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 9- नामनिर्देशन-पत्र एवं शपथ-पत्र आदि जमा करने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में निर्धारित सभी प्राविधान यथावत चलते रहेंगे।
- 10- घर-घर प्रचार-प्रसार अभियान के लिए अभ्यर्थी सहित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 05 तक सीमित की गई है।
- 11- गृह मंत्रालय/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन सार्वजनिक बैठक एवं रोड शो की अनुमति होगी।
- 12- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान फेस मॉस्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, दस्ताने, फेस सील्ड और पीपीई किट के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और ईवीएम के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने उपलब्ध कराए जायेंगे।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

संख्या- 785 (1)/ XXV - 11 / 2020 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त प्रेस नोट को सर्वसाधारण की व्यापक जानाकारी के लिए, आगामी दिवस में प्रकाशित होने वाले राज्य के सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।